

कार्यालय वन वृत्त खण्डवा (क्षेत्रीय) मध्यप्रदेश

आदेश

क्रमांक/व्यय/2022/

116

खण्डवा, दिनांक 25-3-2022

वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत वनमण्डलाधिकारी बुरहानपुर द्वारा सुक्ता नवाड़ से झिरपांजरिया मार्ग निर्माण हेतु उपलब्ध राजस्व भूमि पर वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना प्रस्तुत की है। जिसकी तकनीकी स्वीकृति म.प्र. बुक ऑफ फाइनैसियल पावर 1995 के वाल्यूम-11 के अनुक्रमांक-14 बी एवं मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग के परिपत्र 621/ 03/नियम/04 भोपाल दिनांक 03.09.2003 द्वारा प्रत्यायोजित वित्तीय शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए निम्नानुसार प्रदान की जाती है :-

अ.क्र.	स्थल	रकबा (हेक्टर में)	वर्षवार प्रस्तावित व्यय											योग
			I st year	II year	III year	IV year	V year	VI year	VII year	VIII year	IX year	X year	XI year	
1	ग्राम बीड़ रैयत खसरा नं. 251, 252	2.38	561699	296800	359552	351345	183063	159246	168802	178976	189686	201110	213009	2863288

- 1) समस्त कार्य मध्य प्रदेश वित्त नियम एवं म.प्र. वन वित्तिय नियमों के प्रावधानों एवं शासन के निर्देशों के अधिन किया जाना सुनिश्चित करें। नियमों एवं निर्देशों में किसी भी प्रकार की वित्तीय अनियमितता के लिये आप उत्तरदायी होंगे।
- 2) समस्त कार्य वित्तीय वर्ष में स्वीकृत जॉब दर के अनुसार कराया जावें।
- 3) कार्य निर्धारित नार्मस एवं उपलब्ध बजट आंबटन (भौतिक/आर्थिक) के अन्तर्गत ही करावें।
- 4) यदि किसी कार्य हेतु जाब दरें स्वीकृत नहीं है तो ऐसे कार्यों को प्रारंभ करने के पूर्व जॉब दरों की सक्षम स्वीकृति प्राप्त करें।
- 5) वित्तीय वर्ष में निर्धारित भौतिक/आर्थिक लक्ष्यों की शत प्रतिशत उपलब्धि सुनिश्चित करें।
- 6) कार्य के दौरान प्रत्येक स्तर से राजपत्रित अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा कार्य का नियमित निरीक्षण किया जावें।
- 7) ग्राम वन समिति/वन सुरक्षा समिति की सक्रिय भागीदारी नियमित बैठकों के माध्यम से तथा अन्य प्रकार से सुनिश्चित की जावें।
- 8) योजना के अन्तर्गत कोई राशि लैप्स तथा कार्य अपूर्ण न रहे इसका ध्यान रखा जावें।
- 9) सामग्री कय व उपयोग म.प्र. भण्डार कय नियमों के अनुरूप किया जावें।
- 10) कार्य का क्रियान्वयन, मूल्यांकन व भुगतान व्यवस्था वरिष्ठ कार्यालय द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुरूप किया जावें।
- 11) शासन द्वारा समय समय पर जारी निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जावें।
- 12) उक्त कार्य से संबंधित अभिलेखों का संधारण (यथा माप पुस्तिका/देयक/रोपण पंजी आदि) नियमानुसार किया जावें।
- 13) समस्त कार्यों का पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण की व्यवस्था भी कायम की जावें।
- 14) संबंधित कार्य हेतु विमुक्त राशि से ही कार्य सम्पादित कराया जावें।
- 15) प्रोजेक्ट रिपोर्ट में क्रियान्वयन के दौरान कोई भी परिवर्तन का अधिकार मुख्य वनसंरक्षक खण्डवा वृत्त का है।
- 16) उपचारित किए जाने वाले क्षेत्र के भीतर अतिक्रमण रिक्त कराया जावें।
- 17) प्रस्तावित क्षेत्र में वन अधिकार धारक है तो वन अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 5 में वर्णित कर्तव्य से अवगत करावें।
- 18) योजना की समाप्ति पर सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार 75 प्रतिशत जीवितता की बाध्यता होगी।

(टी.एस. सुलिया)

मुख्य वन संरक्षक

खण्डवा वृत्त खण्डवा

25/03/2022

पृ.क/व्यय/2022/

2305-

खण्डवा, दिनांक 25-3-2022

प्रतिलिपि :- 1. महालेखाकार म.प्र. ग्वालियर की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।

2. वनमण्डल अधिकारी वनमण्डल सा. बुरहानपुर की ओर आपके पत्र क्रमांक/मा.वि./2022/1213 दिनांक 23.03.2022 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

संलग्न :- प्रोजेक्ट की एक प्रति।

मुख्य वन संरक्षक

खण्डवा वृत्त खण्डवा

25/03/2022